

IPCE (New Syllabus)
Paper - 2
Corporate & Other Laws

DHB2 (H)

NOV 2020

Roll No.

Total No. of Printed Pages – 24

Total No. of Questions – 5

Maximum Marks – 70

GENERAL INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1. The question paper comprises two parts, Part I and Part II.
2. Part I comprises Multiple Choice Questions (MCQs).
3. Part II comprises questions which require descriptive type answers.
4. Ensure that you receive the question paper relating to both the parts. If you have not received both, bring it to the notice of the invigilator.
5. Answers to Questions in Part I are to be marked on the OMR answer sheet only. Answers to questions in Part II are to be written on the descriptive type answer book. Answers to MCQs, if written in the descriptive type answer book, will not be evaluated.
6. OMR answer sheet will be in English only for all candidates, including for Hindi medium candidates.
7. The bar coded sticker provided in the attendance register, is to be affixed only on the descriptive type answer book. No bar code sticker is to be affixed on the OMR answer sheet.
8. You will be allowed to leave the examination hall only after the conclusion of the exam. If you have completed the paper before time, remain in your seat till the conclusion of the exam.
9. Duration of the examination is 3 hours. You will be required to submit (a) Part I of the question paper containing MCQs, (b) OMR answer sheet thereon and (c) the answer book in respect of descriptive type answer book to the invigilator before leaving the exam hall, after the conclusion of the exam.
10. The invigilator will give you acknowledgement on Page 2 of the admit card, upon receipt of the above-mentioned items.
11. Candidate found copying or receiving or giving any help or defying instructions of the invigilators will be expelled from the examination and will also be liable for further punitive action.

PART – II

70 marks

1. Question paper comprises 5 questions. Answer Question No. 1 which is compulsory and any 3 out of the remaining 4 questions.
2. Working notes should form part of the answer.
3. Answers to the questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate has not opted for Hindi Medium, his/her answers in Hindi will not be evaluated.

DHB2 (II)

P.T.O.

PART -II

1. (a) Mr. Raja along with his family members is running successfully a trading business. He is capable of developing his ideas and participating in the market place. To achieve this, Mr. Raja formed a single person economic entity in the form of One Person Company with his brother Mr. King as its nominee. On 4th May 2020, Mr. King withdrew his consent as Nominee of the One Person Company. Can he do so under the provisions of the Companies Act, 2013 ? 6

Examine whether the following individuals are eligible for being nominated as Nominee of the One Person Company as on 5th May 2020 under the above said Act.

- (i) Mr. Shyam son of Mr. Raja who is 15 years old as on 5th May 2020.
- (ii) Ms. Devaki an Indian Citizen, sister of Mr. Raja stays in Dubai and India. She stayed in India during the period from 2nd January 2019 to 16th August 2019. Thereafter she left for Dubai and stayed there.
- (iii) Mr. Ashok, an Indian Citizen residing in India who is presently a member of a 'One Person Company'.

(3)

DHB2 (H)

- (b) The Board of Directors of Moon Light Limited, a listed company appointed Mr. Tel , Chartered Accountant as its first auditor within 30 days of the date of registration of the Company to hold office from the date of incorporation to conclusion of the first Annual General Meeting (AGM) . At the first AGM, Mr. Tel was re-appointed to hold office from the conclusion of its first AGM till the conclusion of 6th AGM. In the light of the provisions of the Companies Act, 2013, examine the validity of appointment / reappointment in the following cases :
- (i) Appointment of Mr. Tel by the Board of Directors.
- (ii) Re-appointment of Mr. Tel at the first AGM in the above situation.
- (iii) In case Mr. Bell, Chartered Accountant, was appointed as auditor at the first AGM to hold office from the conclusion of its first AGM till the conclusion of 5th AGM. ie., 4 years tenure.
- (c) X has made an agency agreement with Y to authorize him to purchase goods on the behalf of X for the year 2020 only. The agency agreement was signed by both and it contains all the terms and conditions for the agent. It has a condition that Y is allowed to purchase goods maximum upto the value of ₹ 10 lakhs only. In the month of April 2020, Y has purchased a single item of ₹ 12 lakhs from Z as an agent of X. The market value of the item purchased was ₹ 14 lakhs but a discount of ₹ 2 lakhs was given by Z. The agent Y has purchased this item due to heavy discount offered and the financially benefit to X.

DHB2 (H)

P.T.O.

(4)

DHB2 (H)

After delivery of the item Z has demanded the payment from X as Y is the agent of X. But X denied to make the payment stating that Y has exceeded his authority as an agent therefore he is not liable for this purchase. Z has filed a suit against X for payment.

Decide whether Z will succeed in his suit against X for recovery of payment as per provisions of The Indian Contract Act, 1872.

(d) State with reasons whether each of the following instruments is an Inland Instrument or a Foreign Instrument as per The Negotiable Instruments Act, 1881 :

4

(i) Ram draws a Bill of Exchange in Delhi upon Shyam a resident of Jaipur and accepted to be payable in Thailand after 90 days of acceptance.

(ii) Ramesh draws a Bill of Exchange in Mumbai upon Suresh a resident of Australia and accepted to be payable in Chennai after 30 days of sight.

(iii) Ajay draws a Bill of Exchange in California upon Vijay a resident of Jodhpur and accepted to be payable in Kanpur after 6 months of acceptance.

(iv) Mukesh draws a Bill of Exchange in Lucknow upon Dinesh a resident of China and accepted to be payable in China after 45 days of acceptance.

DHB2 (H)

(5)

DHB2 (H)

2. (a) The Authorized share capital of SSP Limited is ₹ 5 crore divided into 50 Lakhs equity shares of ₹ 10 each. The Company issued 30 Lakhs equity shares for subscription which was fully subscribed. The Company called so far ₹ 8 per share and it was paid up. Later on the Company proposed to reduce the Nominal Value of equity share from ₹ 10 each to ₹ 8 each and to carry out the following proposals :

- (i) Reduction in Authorized Capital from ₹ 5 crore divided into 50 Lakhs equity shares of ₹ 10 each to ₹ 4 crore divided into 50 Lakhs equity shares of ₹ 8 each.
- (ii) Conversion of 30 Lakhs partly paid up equity shares of ₹ 8 each to fully paid up equity shares of ₹ 8 each there by relieving the shareholders from making further payment of ₹ 2 per share.

State the procedures to be followed by the Company to carry out the above proposals under the provisions of the Companies Act, 2013.

- (b) PQ Limited is a public company having its registered office in Mumbai. It has 3680 members. The company sent notice to all its members for its Annual general Meeting to be held on 2nd September 2019 (Monday) at 11:00 AM at its registered office. On the day of meeting there were only 12 members personally present upto 11:30 AM. The Chairman adjourned the meeting to same day in next week at the same time and place.

DHB2 (H)

P.T.O.

(6)

DHB2 (H)

On the day of adjourned meeting only 10 members were personally present. The Chairman initiated the meeting after 11:30 AM and passed the resolutions after discussion as per the agenda of the meeting given in the notice. Comment whether the AGM conducted after adjournment is valid or not as per the provisions of section 103 of Companies Act 2013 by explaining the relevant provisions in this regard.

What would be your answer in the above case, if PQ Limited is a Private company ?

- (c) S Ltd acquired 10% paid up share capital of H Ltd on 15th March 2017. H Ltd acquired 55% paid up share capital of S Ltd on 10th March 2018. H Ltd on 25th September 2020 decided to issue bonus shares in the ratio of 1:1 to the existing shareholders. Accordingly bonus shares were allotted to S Ltd. Examine under the provisions of the Companies Act, 2013 and decide 4
- (i) the validity of holding of shares by S Ltd. in H Ltd.
- (ii) allotment of Bonus shares by H Ltd. to S Ltd.
- (d) (i) Mr. CB was invited to guarantee an employee Mr. BD who was previously dismissed for dishonesty by the same employer. This fact was not told to Mr. CB. Later on, the employee embezzled funds. Whether CB is liable for the financial loss as surety under the provisions of the Indian Contract Act, 1872 ? 2+2
= 4

DHB2 (H)

(7)

DHB2 (H)

- (ii) Mr. X agreed to give a loan to Mr. Y on the security of four properties. Mr. A gave guarantee against the loan. Actually Mr. X gave a loan of smaller amount on the security of three properties. Whether Mr. A is liable as surety in case Mr. Y failed to repay the loan ?

3. (a) Explain the following in brief with reference to Companies Act 2013 : 3+3
=6

- (i) National Financial Reporting Authority (NFRA)
(ii) Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

(b) (i) Mrs. K went to a Jewellery shop to purchase diamond ornaments. 2+2
= 4
The owners of jewellery shop are notorious and indulging in smuggling activities. Mrs. K purchased diamond ornaments honestly without making proper enquiries. Was the purchase made in Good faith as per the provisions of the General Clauses Act, 1897 so as to convey good title ?

- (ii) There are two ways to reach city A from city B. The distance between the two cities by roadways is 100 kms and by water ways 80 kms. How is the distance measured for the purpose of any Central Act under the provisions of the General Clauses Act, 1897 ?

DHB2 (H) .

P.T.O.

(8)

DHB2 (H)

- (c) Sun Light Limited was incorporated on 22nd January 2019 with the objects of providing software services. The Company adopted its first financial year as from 22nd January 2019 to 31st March 2020. The financial statement for the said period, after providing for depreciation in accordance with Schedule II of the Companies Act, 2013 revealed net profit. The Board of Directors declared 20% interim dividend at their meeting held on 7th July 2020, before holding its first Annual General Meeting. In the light of the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder 4
- (i) Whether the Company has complied due diligence in declaring interim dividend?
- (ii) Whether the Company can declare dividend in case it was registered under Section 8 of the Companies Act, 2013?
- (iii) What are the penal consequences in case of failure to pay the interim dividend?
- (d) Vikram accepts a Bill of Exchange for ₹ 50,000 which is an accommodation bill drawn by A on 1st January 2020 to be payable at Mumbai on 1st July 2020. A transfers the bill to B on 1st February 2020 without any consideration. B further transfers it to C on 1st March 2020 for value. Then C transfers it again to D on 1st April 2020 without consideration. D holds the bill till maturity and on the due date of payment he presented the bill for payment but the bill is dishonoured by Vikram. 3

Discuss the rights of A, B, C and D to recover the amount of this bill as per the provisions of The Negotiable Instruments Act, 1881.

DHB2 (H)

DHB2 (H)

4. (a) Viki Limited engaged in the business of consumer durables. It is managed by a team of professional managers. The Company has not made default in payment of statutory dues, and repayment of debenture/Institutional loan with interest. The Company advertised a circular in the newspaper dated 20th September 2020 inviting the deposits from the members and public for the first time. The latest audited financial statement of the Company revealed the following data, as on 31.3.2020 6

Paid up share capital	₹ 70 Crores
Securities Premium	₹ 20 Crores
Free Reserves	₹ 20 Crores
Long – term borrowings	₹ 50 Crores

The Company in the advertisement invited public deposit for a period of 4 Months Plan A and Plan B for 36 Months.

- (i) Explain the term 'eligible company' and calculate the Maximum amount of Deposit that can be accepted from Public (Non – Member) for Plan A and Plan B based on latest audited Financial Statement under the provisions of the Companies Act, 2013.
- (ii) Calculate the maximum amount of deposit Viki Limited can accept from the public under Plan B in case it is a wholly owned Government Company under the provisions of the said Act.

DHB2 (H)**P.T.O.**

(10)

DHB2 (H)

- (b) AB Limited is a public company having its registered office in Coimbatore. The company has incurred a net loss of ₹ 20 lakhs in the Financial Year (FY) 2019-20. The Board of Directors (BOD) wants to declare dividend for the FY 2019-20. The balances of the company as per the latest audited financial statements are as follows :

1. Equity Share Capital (₹ 10 each) - 100 lakhs
2. General Reserve - 150 lakhs
3. Debenture redemption Reserve - 50 lakhs

The company has not declared any dividend in the preceding three financial years. Decide whether AB Limited is allowed to declare dividend or not for the FY 2019-20 by explaining the relevant provisions of the Companies Act in this regard.

If allowed to declare dividend then state the maximum amount of dividend that can be paid by AB Limited as per the Section 123 of Companies Act 2013.

- (c) Define the following terms with reference to the General Clauses Act, 1897 :

(i) Affidavit

(ii) Good Faith

- (d) Write a short note on “Proviso” with reference to the rules of interpretation.

DHB2 (H)

DHB2 (H)

5. (a) (i) ABC Limited is a public company incorporated in New Delhi. The Board of Directors (BOD) of the company wants to bring a public issue of 100000 equity shares of ₹ 10 each. The BOD has appointed an underwriter for this issue for ensuring the minimum subscription of the issue. The underwriter advised the BOD that due to current economic situation of the Country it would be better if the company offers these shares at a discount of ₹ 1 per share to ensure full subscription of this public issue. The Board of Directors agreed to the suggestion of underwriter and offered the shares at a discount of ₹ 1 per share. The issue was fully subscribed and the shares were allotted to the applicants in due course.
- Decide whether the issue of shares as mentioned above is valid or not as per Section 53 of Companies Act 2013. What would be your answer in the above case if the shares are issued to employees as Sweat equity shares?

2+1
=3

- (ii) Ram draws a cheque of ₹ 1 lakh. It was a bearer cheque. Ram kept the cheque with himself. After some time Ram gives this cheque to Shyam as a gift on his birthday. Decide whether Shyam is having a valid title over the cheque and whether Shyam is a holder in due course or not in relation to this cheque as per the Section 9 of the Negotiable Instruments Act 1881.

3

OR

- (a) (i) Are the following instruments signed by Mr. Honest is valid promissory Notes? Give the reasons.
- (a) I promise to pay D's son ₹ 10000 for value received (D has two sons)
- (b) I promise to pay ₹ 5000/- on demand at my convenience
- (ii) Who is the competent authority to issue a promissory note 'payable to bearer'?
- Your answers shall be in a accordance with the provisions of the Negotiable Instruments Act, 1881.

3

DHB2 (H)

P.T.O.

DHB2 (H)

- (iii) The Articles of Association of a Company may contain provisions for entrenchment under Section 5 of the Companies Act, 2013. What is meant by entrenchment provisions in this context? Also State the relevant provisions of the said Act dealing with entrenchment provisions. **3**
- (b) Rose (Private) Limited on 3rd April 2019 obtained ₹ 30 Lakhs working capital loan by offering its Stock and Accounts Receivables as security and ₹ 5 Lakhs adhoc overdraft on the personal guarantee of a Director of Rose (Private) Limited , from a financial institution. **4**
- (i) Is it required to create charge for working capital loan and adhoc overdraft in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 ?
- (ii) State the provisions relating to extension of time and procedure for registration of charges in case the above charge was not registered within 30 days of its creation
- (c) Distinguish between a contract of Indemnity and a contract of Guarantee as per The Indian Contract Act, 1872. **4**
- (d) “Associate words to be understood in common sense manner.” Explain this statement with reference to rules of interpretation of statutes. **3**

DHB2 (H)

(13)

DHB2 (H)

PART -II

1. (a) मि. राजा अपने परिवार के सदस्यों के साथ सफलतापूर्वक एक व्यावसायिक व्यापार

6

का संचालन कर रहे हैं। वह अपने स्वयं के विचारों को विकसित करने तथा बाजार की गतिविधियों में शामिल होने के योग्य थे। इसे हासिल करने के लिये, मि. राजा ने अपने भाई मि. किंग को अपने नामांकित के रूप में एक व्यक्ति कम्पनी (ओ.पी.सी.) के रूप में एकल व्यक्तित्व आर्थिक इकाई का निर्माण किया। 4 मई, 2020 को मि. किंग ने एक व्यक्ति कम्पनी से नामांकित के रूप में अपनी सहमति वापस ले ली। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्या वह ऐसा कर सकता है? उपरोक्त वर्णित अधिनियम के तहत 5 मई, 2020 को क्या निम्नलिखित व्यक्ति, एक व्यक्ति कम्पनी में नामांकित के रूप में नामांकन के योग्य है?

(i) मि. श्याम, मि. राजा के पुत्र, जो 5 मई 2020 को 15 वर्ष के थे।

(ii) मिसेज देवकी, एक भारतीय नागरिक, मि. राजा की बहन जो दुबई तथा भारत में रहती है। वह 2 जनवरी 2019 से 16 अगस्त 2019 की अवधि में भारत में रही थी तथा उसके बाद दुबई चली गई थी तथा वहीं बस गई थी।

(iii) मि. अशोक, एक भारतीय नागरिक जो भारत में रहे थे तथा वर्तमान में एक व्यक्ति कम्पनी (ओ.पी.सी.) के सदस्य है।

DHB2 (H)

P.T.O.

DHB2 (H)

- (b) मुन लाईट लि., एक सूचीबद्ध कम्पनी के संचालक मण्डल ने मि. टेल, एक चार्टर्ड अकाउण्टेंट को, कम्पनी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अन्दर अपने प्रथम अंकेक्षक/लेखा-परीक्षक के रूप में कार्यालय संचालन के लिये समामेलन की तिथि से प्रथम वार्षिक सामान्य सभा होने तक नियुक्त किया। प्रथम वार्षिक सामान्य सभा में मि. टेल को प्रथम वार्षिक सामान्य सभा से छठी वार्षिक सामान्य सभा तक के लिये अपना अंकेक्षक पुनः नियुक्त किया। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के प्रकाश में अंकेक्षक की नियुक्ति तथा पूनर्नियुक्ति की वैधता को निम्नलिखित संदर्भों में जाँच कीजिए :

- (i) संचालक मण्डल द्वारा मि. टेल की नियुक्ति।
- (ii) उपरोक्त परिस्थिति में प्रथम वार्षिक सामान्य सभा में मि. टेल की पूनर्नियुक्ति।
- (iii) यदि मि. बेल, एक चार्टर्ड अकाउण्टेंट, को प्रथम वार्षिक सामान्य सभा में, प्रथम वार्षिक सामान्य सभा से पाँचवीं वार्षिक सामान्य सभा के अंत तक, यथा 4 वर्ष के लिये कार्यालय संचालन हेतु अंकेक्षक के पद पर नियुक्ति।

- (c) X ने Y के साथ एक एजेन्सी अनुबन्ध किया कि Y, X के लिये वर्ष 2020 में माल को क्रय करने के लिये अधिकृत है। एजेन्सी अनुबन्ध, दोनों के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया तथा उसमें एजेन्सी के सभी शर्तों का वर्णन भी था। एक शर्त जिसमें Y को अधिकतम केवल ₹ 10 लाख तक का माल खरीदने की इजाजत थी। अप्रैल, 2020 में, Y ने Z से, X के एजेण्ट के रूप में ₹ 12 लाख की एक वस्तु खरीद ली। वस्तु का बाजार मूल्य ₹ 14 लाख था लेकिन Z द्वारा ₹ 2 लाख की छूट प्रदान की गई। एजेण्ट Y ने इस भारी छूट के कारण ही, X को वित्तीय फायदा पहुँचाने के लिये वह माल खरीदा था।

DHB2 (H)

DHB2 (H)

X द्वारा माल प्राप्ति के पश्चात्, Z ने X से रकम अदायगी की माँग की क्योंकि Y, X का एजेन्ट था। X ने रकम अदायगी मना करते हुए कहा कि Y ने अपने एजेन्ट होने की अधिकृत शर्तों से अधिक कार्य किया है, अतः वह रकम अदायगी के लिये दायी नहीं है। Z ने X के खिलाफ रकम अदायगी का मुकदमा दर्ज कर दिया बताइये क्या Z अपने वाद में X के विरुद्ध रकम प्राप्ति में भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अंतर्गत सफल होगा।

(d) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अनुसार कारण सहित बताइये कि निम्न में से प्रत्येक क्या अन्तर्देशीय विपत्र है या विदेशी विपत्र :

4

- (i) राम ने, श्याम के लिये, जो एक जयपुर निवासी है, ने एक विनिमय पत्र दिल्ली में प्राप्त किया तथा प्राप्ति के 90 दिनों के पश्चात् थाईलैण्ड में अदा करने हेतु स्वीकार किया।
- (ii) रमेश ने, सुरेश के लिये, जो एक ऑस्ट्रेलिया निवासी है, ने एक विनिमय-पत्र मुम्बई में प्राप्त किया तथा प्राप्ति के 30 दिनों के पश्चात्, चेन्नई में अदा करने हेतु स्वीकार किया।
- (iii) अजय ने, विजय के लिये, जो एक जोधपुर निवासी है, ने एक विनिमय-पत्र कैलिफौनिया में प्राप्त किया तथा स्वीकार किये जाने के 6 माह पश्चात् कानपुर में अदा करने हेतु स्वीकार किया।
- (iv) मुकेश ने, दिनेश के लिये, जो एक चीन का निवासी है, ने एक विनिमय-पत्र लखनऊ में लिखा तथा स्वीकार किये जाने के 45 दिनों के पश्चात् चीन में अदा करने हेतु स्वीकार किया।

(16)

DHB2 (H)

2. (a) एस.एस.पी. लि. की अधिकृत अंश-पूँजी ₹ 10 प्रत्येक के अंशों में 50 लाख समता 5

अंशों में ₹ 5 करोड़ में विभाजित है। कम्पनी ने 30 लाख समता-अंशों का अभिदान किया जो कि पूर्ण अभिदत्त हो गए। कम्पनी ने अब तक प्रति अंश ₹ 8 की माँग की जो पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई। इसके बाद में कम्पनी ने अंशों का मूल्य ₹ 10 से ₹ 8 कर दिया तथा निम्नलिखित प्रस्तावों को लिया।

(i) अधिकृत-पूँजी को 50 लाख के ₹ 10 प्रति समता-अंशों की ₹ 5 करोड़ से घटाकर 40 लाख के ₹ 8 प्रति समता-अंश के हिसाब से ₹ 4 करोड़ कर दिया।

(ii) 30 लाख, ₹ 8 प्रति अंश वाले आंशिक प्रदत्त को समता अंश पूँजी को ₹ 8 प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त अंशों में परिवर्तन कर दिया तथा अंशधारकों को प्रति अंश ₹ 2 के अतिरिक्त भुगतान से मुक्ति दी गई।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत, कम्पनी द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों के लागू किये जाने की प्रक्रिया बताइये।

(b) पी.क्यू. लि. एक सार्वजनिक कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय मुम्बई में स्थित है। इसके 3680 सदस्य हैं। कम्पनी ने अपने सभी सदस्यों को उसके पंजीकृत कार्यालय में 2 सितम्बर, 2019 (सोमवार) को 11.00 बजे होने वाली वार्षिक सामान्य सभा की सूचना भेजी। सभा वाले दिन केवल 12 सदस्य 11.30 बजे प्रस्तुत हुए। सभापति ने सभा स्थगित कर दी तथा अगले सप्ताह के उसी दिन तथा समय पर वापस सभा रख दी।

2+2
=4

DHB2 (H)

(17)

DHB2 (H)

स्थगन के पश्चात् अगली सभा में केवल 10 सदस्य प्रस्तुत हुए। सभापति ने 11.30 बजे सभा शुरू कर दी तथा सभा की कार्यसूची के अनुरूप प्रस्ताव पारित कर दिये। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के उचित प्रावधानों के अनुसार क्या सभा वैध है या नहीं। बताइये।

उपरोक्त स्थिति में यदि पी.क्यू. लि., एक निजी कम्पनी हो, तो आपका उत्तर क्या होगा ?

- (c) एस. लि. ने, एच. लि. की 10% भुगतान वाली अंश-पूँजी को 15 मार्च, 2017 को प्राप्त किया। एच. लि. ने, एस. लि. की 55% अंश-पूँजी को 10 मार्च, 2018 को प्राप्त किया। 25 सितम्बर, 2020 को, एच. लि. ने अपने वर्तमान अंशधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस अंश देने का निश्चय किया। इसके अनुसार, बोनस अंश एस. लि. को भी दिये गये। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों अनुसार निर्णय कीजिए :
- (i) एस. लि. द्वारा एच. लि. के अंशों को रखने की वैधता।
- (ii) एच. लि. द्वारा एस. लि. को बोनस-अंशों का आबंटन।
- (d) (i) मि. सी.बी. को, एक कर्मचारी मि. बी.डी. जो पूर्व में उसी नियोक्ता से बेईमानी करने पर निकाल दिया गया था, को उसकी जमानत देने हेतु आमंत्रित किया गया। यह तथ्य मि. सी.बी. को नहीं बताया गया। बाद में, कर्मचारी ने रकम गबन कर ली। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के तहत, क्या मि. सी.बी. आर्थिक-नुकसान के लिए दायी होगा ?

4

2+2
=4

DHB2 (H)

P.T.O.

(18)

DHB2 (H)

- (ii) मि. एक्स., मि. वाई . को चार सम्पत्तियों की प्रतिभूति पर उधार देने को सहमत हुए। मि. ए. ने जमानत दी। वास्तव में, मि. एक्स. ने 3 सम्पत्तियों पर कम रकम उधार दी। क्या मि. ए., जमानती के तौर पर, मि. वाई. द्वारा उधार नहीं चुकाने पर, रकम अदायगी के लिये दायी होंगे ?

3. (a) कम्पनी अधिनियम, 2013 के सन्दर्भ में, निम्नलिखित को समझाइये :

3+3
=6

- (i) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA)

- (ii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सी.एस.आर. कमेटी)

- (b) (i) श्रीमती के., हीरे खरीदने, ज्वेलरी की दुकान पर जाती है। दुकान का मालिक बदमाश था तथा स्मगलिंग का काम भी करता था। श्रीमती के. ने बिना सही जानकारी प्राप्त किये, ईमानदारी से हीरे के आभूषण खरीद लिये। साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 के प्रावधानों के अनुसार, उचित स्वामित्व पाने के लिये, क्या सद्भावना से क्रय पर्याप्त है ?

2+2
= 4

- (ii) शहर बी. से शहर ए. तक पहुँचने के दो रास्ते हैं। दोनों शहरों के मध्य सड़क द्वारा अन्तर 100 kms तथा जल-मार्ग द्वारा अन्तर 80 kms है। साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 के प्रावधानों के अनुसार किसी केन्द्रीय अधिनियम के उद्देश्य के लिए शहरों का अन्तर कैसे मापा जाएगा ?

DHB2 (H)

DHB2 (H)

- (c) सन लाइट लिमिटेड सॉफ्टवेयर सर्विस प्रदान करने के उद्देश्य से 22 जनवरी, 2019 को निगमित हुई। कम्पनी ने अपना प्रथम वित्तीय वर्ष 22 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक अपनाया। इस अवधि का वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार मूल्यहास के पश्चात शुद्ध लाभ दर्शाता है। कम्पनी का संचालक मण्डल इसकी प्रथम वार्षिक साधारण सभा होने से पहले, 7 जुलाई, 2020 को हुई सभा में 20% अन्तरिम लाभांश घोषित करता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अधीन निर्मित नियमों के प्रकाश में –

- (i) क्या कम्पनी ने अन्तरिम लाभांश घोषित करने में उचित तत्परता का पालन किया है ?
- (ii) क्या कम्पनी लाभांश घोषित कर सकती है यदि वह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन पंजीकृत होती ?
- (iii) अन्तरिम लाभांश के भुगतान में विफलता के स्थिति में क्या दाण्डिक परिणाम हैं ?

- (d) विक्रम ने ₹ 50,000 का विनिमय-पत्र, जो कि अनुग्रहित विपत्र है, जो कि 1 जनवरी, 2020 को ए द्वारा लिखा गया जिसका 1 जुलाई, 2020 को मुम्बई में भुगतान होना है। ए ने बी को 1 फरवरी, 2020 को बिना प्रतिफल के विनिमय-पत्र को हस्तांतरित कर दिया। बी ने सी को 1 मार्च, 2020 को प्रतिफल के साथ हस्तांतरित कर दिया। तत्पश्चात, सी ने डी को 1 अप्रैल, 2020 को बिना प्रतिफल के हस्तांतरित कर दिया। डी ने विनिमय-पत्र को परिपक्वता तक रखा तथा देय तिथि को विक्रम के समक्ष भुगतान प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया लेकिन विक्रम ने उस विनिमय-पत्र का अनादरण कर दिया।

परक्राम्य साध्य अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के अनुसार ए, बी, सी तथा डी के रकम प्राप्ति के अधिकारों का वर्णन कीजिये।

DHB2 (H)

6

4. (a) विक्की लि. उपभोक्ता वस्तुओं के व्यवसाय में संलग्न है। यह पेशेवर प्रबंधकों की टीम द्वारा प्रबन्धित है। कम्पनी अपने कानूनी बकाया तथा ऋणपत्र/व्यावसायिक उधार के मय ब्याज के पूर्ण भुगतान में कभी गलती नहीं करती। 20 सितम्बर, 2020 को पहली बार कम्पनी ने एक अखबार में सामान्य जनता तथा सदस्यों से जमाएँ आमंत्रित करने हेतु अखबार में विज्ञापन का परिपत्र जारी किया। 31.3.2020 को कम्पनी के अन्तिम अंकेक्षित वित्तीय लेखे में निम्नलिखित मदें प्राप्त हुईं

प्रदत्त अंश-पूँजी

₹ 70 करोड़

प्रतिभूति प्रीमियम

₹ 20 करोड़

मुक्त संचय

₹ 20 करोड़

दीर्घकालीन ऋण

₹ 50 करोड़

कम्पनी ने प्लान A के लिये 4 माह की अवधि के लिये तथा प्लान B के लिये 36 माह की अवधि के लिये सार्वजनिक जमाएँ आमंत्रण का विज्ञापन दिया।

- (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत, आखिरी अंकेक्षित वित्तीय लेखे के आधार पर प्लान A व B के लिये जनता से स्वीकृत अधिकतम राशि की गणना करें तथा 'योग्य-कम्पनी' शब्द को समझाइये।

- (ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत, प्लान B में जनता से स्वीकृत की जाने वाली अधिकतम राशि की गणना कीजिये जबकि विक्की लि. एक पूर्ण सरकारी कम्पनी है।

DHB2 (H)

(21)

DHB2 (H)

- (b) ए.बी. लि. एक सार्वजनिक कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय कोयम्बतूर में स्थित है। वित्तीय वर्ष, 2019-20 में कम्पनी को ₹ 20 लाख का नुकसान हुआ। संचालक मण्डल, वित्तीय वर्ष 2019-20 में लाभांश वितरण की घोषणा करना चाहते हैं। अन्तिम अंकित वित्तीय-लेखा के आधार पर कम्पनी की मर्दे निम्न हैं :

2+2
=4

1. समता अंश-पूँजी (₹ 10 प्रत्येक) - 100 लाख
2. सामान्य संचय - 150 लाख
3. ऋणपत्र-शोधन संचय - 50 लाख

कम्पनी ने पिछले तीन वर्षों में कोई लाभांश घोषित नहीं किया था। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत बताइये क्या ए.बी. लि. वित्तीय-वर्ष 2019-20 में लाभांश घोषित कर सकती है अथवा नहीं ?

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार बताइये की लाभांश की अधिकतम राशि क्या होगी ?

- (c) सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 के सन्दर्भ में निम्न पदों को परिभाषित कीजिये :

2+2
=4

(i) शपथ-पत्र

(ii) सद्भावना

- (d) निर्वाचन के नियम के सन्दर्भ में “प्रतिबन्ध” (प्राविजो) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

3

DHB2 (H)

P.T.O.

DHB2 (H)

5. (a) (i) ए.बी.सी. लि., एक सार्वजनिक कम्पनी है जो नई-दिल्ली में निर्गमित हुई । 2+1
=3
कम्पनी का संचालक-मण्डल ₹ 10 प्रत्येक के 1,00,000 समता अंशों का सार्वजनिक निर्गमन लाना चाहता है । संचालक मण्डल ने न्यूनतम अभिदान प्राप्त करने हेतु एक अभिगोपक को नियुक्त किया । अभिगोपक ने संचालक-मण्डल को सुझाव दिया कि देश की वर्तमान आर्थिक परिस्थिति के कारण पूर्ण-अभिदान के लिये अंशों को ₹ 1 की छूट पर निर्गमित किया जाना ठीक होगा । संचालक-मण्डल ने सुझाव मानते हुए अंशों को ₹ 1 की छूट पर जारी किया । निर्गमन का पूर्ण-अभिदान हुआ तथा आवेदकों को अंशों का आबंटन समय पर कर दिया गया ।

बताइये, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अनुसार अंशों का निर्गमन वैध है या नहीं ? यदि उपरोक्त परिस्थिति में अंशों को अपने ही कर्मचारियों को स्वेत समता अंशों के रूप में निर्गमित किया जाता तो आपका उत्तर क्या होगा ?

- (ii) राम को ₹ 1 लाख का चैक प्राप्त हुआ । यह वाहक-चैक था । राम ने उसे अपने पास रखा । कुछ समय पश्चात् राम ने, श्याम को उसके जन्मदिन पर यह चैक उपहार में दिया । बताइये क्या श्याम का उस चैक पर वैध स्वामित्व है तथा क्या श्याम परक्राम्य साध्य विलेख, 1881 की धारा 9 के अनुसार इस चैक का सम्यक् धारक है अथवा नहीं ? 3

अथवा

- (a) (i) क्या मि. होनेस्ट द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित विनिमय-पत्र वैध हैं ? कारण बताइये । 3

(a) मैं, D के पुत्र को ₹ 10,000 देने का वादा करता हूँ ।

(D के दो पुत्र हैं ।)

(b) मैं, अपनी सुविधा के अनुसार, माँगे जाने पर ₹ 5,000 देने का वादा करता हूँ ।

- (ii) “वाहक को देय”, विनिमय-पत्र जारी करने के लिये कौन उचित-प्राधिकारी है ?

परक्राम्य साध्य विलेख, 1881 के प्रावधानों के अनुसार अपने उत्तर बताइये ।

DHB2 (H)

(23)

DHB2 (H)

- (iii) कम्पनी का पार्षद-अन्तर्नियम में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 5 के अन्तर्गत दुस्संशोधन (एनट्रेच्मेन्ट) के प्रावधान हो सकते हैं। इस सन्दर्भ में दुस्संशोधन (एनट्रेच्मेन्ट) प्रावधानों का क्या मतलब है ? कम्पनी अधिनियम, 2013 में दुस्संशोधन (एनट्रेच्मेन्ट) से सम्बन्धित प्रावधानों को बताइये। 3
- (b) रोज़ प्रा. लि. को एक वित्तीय संस्थान से 3 अप्रैल, 2019 को अपने निदेशक की जमानत पर, अंशों, ऋण-प्राप्तियों तथा ₹ 5 लाख ओवरड्राफ्ट की जमानती पर ₹ 30 लाख की कार्यरत-पूँजी के लिए उधार प्राप्त हुआ। 4
- (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार क्या यह आवश्यक है कि कार्यरत-पूँजी तथा ओवरड्राफ्ट पर अभियुक्ति (चार्ज) लगाया जाये ?
- (ii) अभियुक्ति (चार्ज) के पंजीकरण का समय तथा प्रक्रिया बताये यदि उपरोक्त परिस्थिति में यह अपने लागू होने के 30 दिनों के भीतर पंजीकृत नहीं कराया गया।
- (c) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के अनुसार 'क्षतिपूर्ति के अनुबन्ध' तथा 'गारण्टी के अनुबन्ध' में अन्तर बताइये। 4
- (d) "संलगित शब्दों को सामान्य ज्ञान से समझना चाहिये।" इस वाक्य को संविधा/विलेखों के स्पष्टीकरण के नियम से समझाइये। 3

DHB2 (H)

रोल नं.

मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या – 24

कुल प्रश्नों की संख्या – 5

अधिकतम अंक – 70

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश

1. प्रश्न-पत्र के दो भाग हैं, Part-I और Part-II.
2. Part-I में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) हैं ।
3. Part-II में वर्णनात्मक प्रकार के उत्तर की अपेक्षा वाले प्रश्न हैं ।
4. सुनिश्चित करें कि दोनों भागों से संबंधित प्रश्न-पत्र आपने प्राप्त किया है । यदि आपने दोनों भाग प्राप्त नहीं किये हैं तो निरीक्षक के ध्यान में लावें।
5. Part-I के प्रश्नों के उत्तर केवल OMR उत्तर-पत्र पर चिह्नित करने हैं । Part-II के प्रश्नों के उत्तर वर्णनात्मक उत्तर-पुस्तिका में लिखना हैं । बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर वर्णनात्मक उत्तर-पुस्तिका में लिखने पर उनका मूल्यांकन नहीं होगा ।
6. OMR उत्तर-पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों सहित, केवल अंग्रेजी में होगा ।
7. उपस्थिति पंजीयक में दिया बार कोड स्टीकर केवल वर्णनात्मक प्रकार उत्तर पुस्तिका पर लगाया जाएगा । OMR उत्तर-पत्र पर कोई बार कोड स्टीकर नहीं लगाया जाएगा ।
8. परीक्षा की समाप्ति के पश्चात ही आपको परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति होगी । यदि आपने समय से पूर्व पेपर पूर्ण कर लिया है तो भी आपको अपनी सीट पर ही बैठना होगा ।
9. परीक्षा की अवधि 3 घंटे है । आपको परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व निरीक्षक को (a) बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले प्रश्न-पत्र का Part-I (b) OMR उत्तर-पत्र और (c) वर्णनात्मक उत्तरों वाली उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक को जमा कराना आवश्यक है ।
10. उपर्युक्त दर्शित सामग्री की प्राप्ति पर, निरीक्षक प्रवेश-पत्र के पृष्ठ 2 पर अभिस्वीकृति प्रदान करेगा ।
11. अभ्यर्थी नकल करते या किसी प्रकार की सहायता देते या प्राप्त करते या निरीक्षक के निर्देशों की अवज्ञा करते पाया गया, तो परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त दंडात्मक कार्यवाही के लिए भी बाध्यकारी होगा ।

भाग – II

70 अंक

1. भाग-II में 5 प्रश्न हैं । प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, का उत्तर दीजिये तथा शेष 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर देना है ।
2. कार्यशील टिप्पणियाँ उत्तर का भाग मानी जायेगी ।
3. उन परीक्षार्थियों को छोड़कर जिन्होंने हिन्दी माध्यम चुना है, प्रश्नों के उत्तर केवल अंग्रेजी में ही देने हैं । वह परीक्षार्थी जिसने हिन्दी माध्यम नहीं चुना है, यदि हिन्दी में उत्तर देता है, तो उसके हिन्दी में दिये गये उत्तरों का मूल्यांकन नहीं होगा ।